तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ तामिल मे जारी हुये
06 05 24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील प्रार्थी श्री नरपतसिंह ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि जमाबंदी संवत 2064 से 2067 में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा दर्ज था तथा इसके पश्चात नामान्तरकरण संख्या 649 दिनांक 07.06.10 से 1/18 हिस्सा खरीद से दर्ज होने से प्रार्थी का 2/9 हिस्सा दर्ज होना था। जो जमाबंदी संवत 2072 से 2075 में दर्ज नहीं होने से सेग्रीगेशन के बाद बनी जमाबंदी में प्रार्थी का 1/13, 1/13 हिस्सा ही दर्ज किया है जबकि प्रार्थी का 2/9 हिस्सा दर्ज होना चाहिये। इस बाबत रिपोर्ट भी तहसीलदार बाली से प्राप्त हो चुकी है। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा बहस में दलील दी गई कि हितबद्ध खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी नियमित वाद के द्वारा ही अपना अनुतोष प्राप्त कर सकता है। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया व वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सैटलमेंट पूर्व की जमाबंदी संवत 2030 से 2033, संवत 2064 से 2067 की जमाबंदी की प्रति, संवत 2072 से 2075 की जमाबंदी की प्रति व सेग्रीगेशन के बाद की जमाबंदी की प्रति पेश की है। परंतु प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में वादग्रस्त भूमि की संवत 2030 से 2033 के पश्चात संवत 2059 से 2063 की जमाबंदिया तथा संवत 2068 से 2072 की जमाबंदी की प्रतियां पेश नहीं की गई हैं। इस प्रकार प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र लेकर नहीं आया है। इस संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136(17) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज में किसी प्रकार का परिवर्तन/बदलाव हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस दिये बिना नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार ही नहीं बनाया है, जबकि सीपीसी के आदेश 1 मे स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि हितबद्ध सभी व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जावें। प्रार्थी अपने विधिक दायित्वों का निर्वहन करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। जिससे अप्रार्थी पेरोकार सरकार की इन दलीलों से न्यायालय पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि प्रार्थी चाहा गया अनुतोष नियमित वाद के जरिये ही प्राप्त कर सकता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 उक्त विवेचन से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.) सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली	

CamScanner